लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल के माह 05/2012 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित श्री आर.एन. यादव, श्री अशोक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री शेखर वर्मा, लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 30-05-2016 से 03-06-2016 तक में सम्पन्न लेखापरीक्षा का डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

<u>भाग-प्रथम</u>

प्रस्तावनाः-

1. इस खण्ड की प्रथम लेखापरीक्षा।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2012 से 04/2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।

2. लेखापरीक्षा अवधि तक निम्नलिखित कार्यालयाध्यक्ष नें खण्ड का कार्यभार सम्भाले रखा।

   1. श्री रमेश कुमार बाटला – अवधि 04/08/2011 से वर्तमान तक।

3. पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत् थीः-

क्र0सं0	**लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष**	**अनिस्तारित कण्डिकाएं**	
		भाग दो 'अ'	**भाग दो 'ब'**
शून्य			

4. अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

5. सतत अनियमिततायेः- कैशबुक का उचित प्रारुप में रखरखाव नहीं किया जाना।

6. गत तीन वर्षों में प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

(` लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	कुल आवंटन		कुल व्यय	
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान
1.	2012-13	158.33	165.61	105.05	165.61
2.	2013-14	109.44	179.26	148.75	179.26
3.	2014-15	73.97	199.41	48.68	199.41
4.	2015-16	164.30	182.33	129.77	182.33
5.	2016-17 अप्रैल 2016 तक	0.00	78.64	1.12	26.19

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः1- विभाग द्वारा सरकार को ` 140636.00 की रायल्टी का भुगतान नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 62/VII-11-13/24-ख/2007 दिनांक 18.01.2013 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2013 अधिसूचित की गयी थी जिसके द्वारा नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स आदि की रायल्टी ` 40 से ` 80 प्रति घन मी. तथा बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू, मोरम आदि हेतु ` 45 से ` 90 की दर निर्धारित की गयी थी। यह संशोधित दर आदेश के दिनांक से प्रवृत्त थी। इससे पूर्व में भी उक्त पदार्थो हेतु रायल्टी चुकाया जाना आवश्यक था।

(1) कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सतपुली के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में Stone एवं Sand का प्रयोग किया गया

था। जिसके लिए कुल ` 63268.00 की रायल्टी का भुगतान विभाग द्वारा सरकार को किया जाना चाहिए था (संलग्नक)। परन्तु विभाग द्वारा उक्त उपखनिज के प्रयोग की रायल्टी का भुगतान सरकार को नहीं किया गया।

(2) कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सतपुली के अभिलेखों की नमूना जांच (05/2016) में पाया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत (RKVY) जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु तारबाड़ निर्माण योजना के लिए इकाई के अधीन विकास-खण्ड-एकेश्वर, पोखड़ा एवं जयहरीखाल के लिए कुल ` 632.08 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी (Project Approved in SLSC 28.01.2015)। जिसके तहत वर्ष 2015-16 में इकाई को आवंटित कुल ` 70.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष विभिन्न ग्रामों की तारबाड़ करने की योजना का आगणन गठित कर कार्य का निष्पादन कराया गया। उक्त कार्य योजना में प्रयुक्त माप-पुस्तिका संख्या 545,549 एवं 551 के अनुसार लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य पर कुल Sand 304.66 घन मी. एवं Stone 624.36 घन मी. प्रयुक्त की गयी थी जिसके लिए देय दर से कुल ` 77368.00 की रायल्टी का भुगतान विभाग द्वारा सरकार को किया जाना चाहिए था। (Annexure-A) परन्तु विभाग द्वारा उक्त उपखनिज के प्रयोग की रायल्टी का भुगतान सरकार को नहीं किया गया था।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि पत्थर का प्रयोग खनन न करके एकत्रीकरण करके किया गया है, जिसके कारण रायल्टी जमा नहीं की गई। परन्तु लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गयी आपत्ति के क्रम में भविष्य में रायल्टी जमा कर दी जायेगी। इकाई के उत्तरों से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि प्रयुक्त पत्थरों (Stone) एवं Sand के लिए कोई रायल्टी जमा नहीं की गयी थी, जबकि कार्य में प्रयुक्त Stone एवं Sand के लिए विभाग द्वारा सरकार को ` 140636.00 की रायल्टी का भुगतान/जमा किया जाना चाहिए था।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1- योजनाओं के निर्धारित भौतिक लक्ष्य की पूर्ति/प्राप्ति में कमी।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली के अभिलेखों के योजनावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के विश्लेषण में पाया गया कि वर्ष 2012-13 में 5 योजनाओं में कुल निर्धारित भौतिक लक्ष्य 2045.82 (हे.) के सापेक्ष मात्र 721.00 (हे.) लक्ष्य की पूर्ति की जा सकी। इस प्रकार योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में 65.75 प्रतिशत की कमी रही। वर्ष 2013-14 में 3 योजनाओं में कुल निर्धारित भौतिक लक्ष्य 1254.36 (हे.) के सापेक्ष मात्र 583.00 (हे.) लक्ष्य की पूर्ति की जा सकी। इस प्रकार योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में 53.52 प्रतिशत की कमी रही। वर्ष 2014-15 में जल सम्भरण (RKVY) योजना के निर्धारित लक्ष्य 300 (हे.) के सापेक्ष मात्र 140 (हे.) की लक्ष्य पूर्ति की जा सकी तथा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में 53.33 प्रतिशत की कमी रही। इसी प्रकार वर्ष् 2015-16 में एकीकृत रा.कृ.वि. योजना के निर्धारित लक्ष्य 433.33 (हे.) के सापेक्ष मात्र 226.67 (हे.) के लक्ष्य की पूर्ति की जा सकी तथा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में 47.69 प्रतिशत की कमी रही (Annexure-B)।

इस प्रकार योजनाओं के भौतिक लक्ष्य की पूर्ति में कमी के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि बजट विलम्ब से प्राप्त होने के कारण योजनओं की भौतिक लक्ष्य की पूर्ति में कमी आई है एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण। कार्यालय द्वारा समय-समय पर क्षेत्रीय कर्मचारियों को प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया जाता है एवं शासन/विभाग से समय से धन आवंटन हेतु मांग की जाती रही है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कई वर्षों से योजना के भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी आ रही थी परन्तु इकाई द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाये गये थे जिससे कि योजना के भौतिक प्रगति को बढ़ाया जा सके तथा अभीष्ट लक्ष्य की पूर्ति की जा सके।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग से **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II